प्रारूप 2
(नियम 11(4) देखिए)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद (छ.ग.)

दूरभाश : 07706–241566 ई–मेल :Deogariaband@gmail.com फैक्स : 07706–241566

क्र. / मान्यता / 2020–21 / नवीन / 1178 गरियाबंद, दिनांक 09 / 06 / 2020

प्रति,

प्रबंधक / अध्यक्ष,
द्रोणाचार्य पब्लिक स्कुल मजरकट्टा,
वि.खं. गरियाबंद, जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 12.12.2019 तथा इस सबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में आपके **द्रोणाचार्य पब्लिक स्कुल मजरकट्टा, वि0खं0 गरियाबंद, जिला – गरियाबंद छ0ग0, मा0 अंग्रेजी** (स्कूल का नाम एवं पता) को कक्षा **नर्सरी** से कक्षा **आठवीं** तक के लिए दिनांक **01.04.2020** से **31.03.2021** तक एक वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगीः–

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता / सबंद्वता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के लिए बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो उसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वाषिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु वह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्तें कि जहॉ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा देता है वहॉ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि.स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रकिया को नहीं अपनायेगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा –
   (क) आयु के सबूत के अभाव मे :
   (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् उेसा प्रवेश चाहा गया है (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
   (एक) किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नही किया जाएगा :
   (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जायेगा :
   (तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी :
   (चार) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाणपत्र दिया जाएगा :
   (पांच) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त / विषेश आवश्यकता वाले बालक को समाहित किया जाएगा :

कमशः .2..

(छह) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भीर्ती की जाएगी, बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नही रखते है, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी :

(सात) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा :

(आठ) प्राइवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नही लेंगे/लेंगी :

(नौ) भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता भाग–4 के अधीन विनिर्दिश्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो:

(दस) प्रतिवर्श बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निदेशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए :

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किये अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।
10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिदिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएगें। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :–

स्कूल परिसर का क्षेत्रफल – **110000 वर्गफूट**

कुल निर्मित क्षेत्रफल – **10000 वर्गफूट**

खेल मैदान का क्षेत्रफल – **80000 वर्गफूट**

कक्षाओं के कमरों की संख्या – **21 रूम**

प्रधानाध्यापक कक्ष–सह कार्यालय सह–स्टोर कक्ष – **04 कक्ष है।**

लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन – **हॉ है।**

स्वच्छ पेय जल सुविधा – हॉ है।

मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर – **नही है।**

बाधा रहित प्रवेश सुविधा – हॉ है।

पठन–पाठन सामग्री/खेल एवं खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता – **हॉ है।**

11. लेखे संपरीक्षित किये जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
12. आपके स्कूल को आबंटित मान्यता कोड नम्बर **D-2 /नवीन/2020** एवं डाईस(DISE) कोड नम्बर -------------------- है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किये जाए।
13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
14. सोसायटी/न्यास यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
15. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्व हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
गरियाबंद (छ.ग.)

पृष्ठां. क्र./मान्यता/2020–21/नवीन/ 1178-A
गरियाबंद, दिनांक 09/06/2020

प्रतिलिपि:–

1. विकास खंड शिक्षा अधिकारी..को सूचनार्थ।
2. सह जिला परियोजना अधिकारी रा.म.शि.मि. जिला गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी
गरियाबंद (छ.ग.)